**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3055**

**18 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए**

**प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत खाली आवास**

**†3055. श्री दीपक अधिकारी (देव):**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत निर्मित लगभग आधे आवास देश भर में खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अपूर्ण अवसंरचना, मूलभूत सुविधाओं का अभाव या आवंटन प्रक्रिया में देरी जैसे मुद्दे सहित इतनी अधिक संख्या में खाली आवासों के लिए चिह्नित किए गए कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पीएमएवाई-यू के अंतर्गत निर्मित आवासों के लिए सहायक अवसंरचना के समय पर पूरा होने, तेजी से आवंटन और वास्तविक अधिभोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लक्षित लाभार्थी उक्त योजना का लाभ उठा सकें?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री तोखन साहू)**

(क) से (ग) : आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसमों में रहने योग्य पक्का आवास उपलब्ध कराना है। वित्तपोषण पध्दति और कार्यान्वयन प्रणाली में कोई बदलाव किए बिना, स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए इस योजना की अवधि 31.12.2025 तक बढ़ा दी गई है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के उद्देश्य से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। यह योजना चार घटकों अर्थात

लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 मांग आधारित योजनाएं हैं। लाभार्थियों द्वारा पसंद किए गए विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निरूपण और पात्र लाभार्थियों को पूर्ण आवासों के आबंटन सहित इस योजना का निष्पादन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। आवासों/परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होती है और आमतौर पर इस योजना के विभिन्न घटकों में और संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार 12-36 महीने लगते हैं।

आवासों को पूरा करने की समय-सीमा विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है जैसे ऋणभार मुक्त भूमि की उपलब्धता, निर्माण शुरू करने के लिए सांविधिक अनुपालन, लाभार्थियों द्वारा निधियों की व्यवस्था आदि। इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह अनिवार्य है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने स्वयं के संसाधनों से या विभिन्न योजनाओं के साथ तालमेल करके पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 परियोजनाओं में आंतरिक सड़क, रास्ते, जल आपूर्ति, सीवरेज/सेप्टेज, जल निकासी, बाहरी विद्युतीकरण आदि जैसे ऑन-साइट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना चाहिए। परियोजनाओं के तहत आवासीय इकाइयों में एनबीसी/राज्य/स्थानीय प्राधिकरण के मानदंडों के अनुरूप पानी की आपूर्ति, बिजली, रसोई और शौचालय होंगे।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय ने अब तक इस योजना के तहत कुल 122.06 लाख आवास स्वीकृत किए हैं, जिसमें पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत 10.43 लाख आवास भी शामिल हैं। 24.11.2025 तक, इनमें से 113.85 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है और 96.02 लाख आवास पूरे किए जा चुके हैं और 93.39 लाख आवास लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों के दौरान पूरे हो चुके एएचपी आवासों का कब्जा ना लिया जाना एक प्रमुख उठाया जाने वाला मुद्दा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कब्जा न लिए जाने के कारणों में जल, सड़क, बिजली जैसी अपूर्ण बुनियादी अवसंरचनाएं या प्रवास की अनिच्छा मौजूदा आजीविका और सामाजिक नेटवर्क से स्थानांतरण करने की अनिच्छा, लाभार्थी द्वारा हिस्से में योगदान करने में वित्तीय बाधाएं, प्रलेखन और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आबंटन में विलंब शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे

सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करके और प्राथमिकता के आधार पर लाभार्थियों को आबंटन सुनिश्चित करके पीएमएवाई-यू के तहत आवासों पर कब्जा सौंपने में सुधार करें। मंत्रालय शेष आवासों को पूरा करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवासों पर कब्जा सौंपना सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

******